



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक—जे०एन०सी०य० / आर०कैम्प(सा०प्र०) / २०२० / २०२०

दिनांक: 17 अप्रैल, 2020

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्य,

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित करने वाल अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एंव सेवा शर्तों के मानक आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न शासनदेश संख्या 226 / सत्तर-2-2020-18(31) / 2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 का संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

तदक्रम में माननीय कुलपति महोदया से प्राप्त आदेश के अनुपालन में सूचित करना है कि अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अनुमोदित कार्यरत शिक्षकों का पाठ्यक्रमवार न्यूनतम वेतन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जाने हेतु संलग्न प्रारूप पर सूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2020 तक विश्वविद्यालय की मेल jncuballia@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक सूचना प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि आगामी सत्र 2020-21 में आपका महाविद्यालय स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये इच्छुक नहीं है, तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीट्स कालेज लाग इन पर प्रदर्शित नहीं की जायेगी।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या 226 / सत्तर-2-2020-18(31) / 2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 से आक्षादित है, अतः प्राथमिकता अपेक्षित है। विलम्ब से सूचना प्राप्त होने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

संलग्नक— यथोक्त।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति महोदया,
2. वित्त अधिकारी,
3. सहायक / उप कुलसचिव,
4. विश्वविद्यालय की बेवसाइट एवं कालेज लाग इन हेतु।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(रूप
कुलसचिव)

पता:-शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला—बलिया,उ०प्र० पिन कोड:-277001

Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001

Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु प्रारूप

महाविद्यालय का नाम एवं कोड :

क्र०	पाठ्यक्रम का नाम (स्ववित्तपोषित योजनात्तर्गत)	कुल प्रवेश(1st/1Ind/1Ird)			शिक्षण शुल्क			कुल आय			शिक्षकों की संख्या	शिक्षणतरं कर्मचारियों की संख्या	देय वेतन	
		17-18	18-19	19-20	17-18	18-19	19-20	17-18	18-19	19-20			शिक्षक	कर्मचारी
1	बी0ए0													
2	बी0एस0सी0													
3	बी0काम0													
4	बी0एड0													
5	बी0पी0एड0													
6	एस0एड0													
7	बी0सी0ए0													
8	एल0एल0बी0													
9	बी0एस0सी0-एजी0													
10	बी0एल0एड0													
11	एम0ए0 (विषय.....)													
12	एम0एस0-सी0(विषय)													
13	अन्य													

प्रबन्धक के हस्ताक्षर एवं मुहर :

८
८०

प्रपक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ :दिनांक: 13 मार्च, 2020

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के संबंध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर

शासनादेश सं0-4228ए / सत्तर-2-99-2(85) / 97, दिनांक 30 अप्रैल, 1997,
शासनादेश सं0-2443 / सत्तर-2-2000- 2(85) / 97, दिनांक 09 मई, 2000
शासनादेश सं0-195 / सत्तर-2-2006-2(85) / 19, दिनांक 06 फरवरी, 2006
शासनादेश सं0-5699 / सत्तर-2-2007-2(85) / 97, दिनांक 11 जनवरी, 2008
शासनादेश सं0-1726 / सत्तर-2-2011-16(409) / 2010, दिनांक 15 जुलाई, 2011.
शासनादेश सं0-2218 / सत्तर-2-2011- 16(409) / 2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011.
शासनादेश सं0-968 / सत्तर-2-2013-18(99) / 2013, दिनांक 30 मई, 2013
शासनादेश सं0-174 / सत्तर-2-2014-2(85) / 97टी.सी.-I, दिनांक 12 मार्च, 2014,
शासनादेश सं0-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16(33) / 2015, दिनांक 12 जून, 2015

कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों आदि के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश (पाइयांकित) तथा शासनादेश संख्या- 1960 / सत्तर-2-97-2(85) / 1997,

दिनांक 11 नवम्बर, 1997 पूर्व में जारी किये गये हैं।

2- रिट याचिका संख्या-729 (एस0वी0) / 2012, डॉ० सुरेश कुमार पाण्डे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 का सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

53. (iii) All those courses which are open under self-financing scheme, the universities as well as colleges shall at least pay minimum pay scale admissible to teachers in accordance with Rules. The services of teachers appointed under the self-financing scheme, should be permitted to continue till continuance of course or satisfactory discharge of duty.
- (iv) Since 2000 and onward, the Government has stopped the grant-in-aid and sanction of new course, even then Government shall ensure that Committee of Managements do not exploit the teachers and pay reasonable salary in contractual and ad hoc appointments in the recognised and affiliated colleges.

रिट याचिका संख्या-729 (एस०वी०)/2012 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-968 / सत्र-02-2013-18(99)/2013, दिनांक 30 मई, 2013 द्वारा दिग्ग-निर्देश जारी किये गये हैं।

3- मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में प्रदेश में समस्त स्ववित्तप्राप्ति पाठ्यक्रमों की व्यवस्था को अधिक सुधारु एवं सुदृढ़ बनाने के उददेश्य से प्रस्ताव-1 के पार्श्वाकित समस्त शासनादेशों को अवक्षणित करते हुये शासनादेश संख्या-1960 / सत्र-2-97-2(35)/97, दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के क्रम में कठियय नई व्यवस्थाय लागू की जा रही है, जिसका उल्लंघन निम्नार्थित प्रस्ताव में किया जा रहा है।

4- स्ववित्तप्राप्ति योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में :-

- (1) स्ववित्तप्राप्ति योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता दिय जाने/नवीनीकरण किये जाने के समय बाजार की सांग और पाठ्यक्रम की प्रार्थनाकरता एवं तात्पर्यकरता का व्याप में रखते हुये नियमानुसार सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमों/परिनियमों के अन्वयत सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
- (2) पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुलेप किया जायेगा।
- (3) शैक्षणिक मानकों में विश्वविद्यालय की भूमिका सर्वात्मक होती है। स्ववित्तप्राप्ति पाठ्यक्रमों में प्रबंग, पाठ्यक्रम, परिक्षा, नूत्रणकर्ता एवं अन्य क्रिया-कलाप सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों एवं निर्देशों के अधीन होंगे।
- (4) पाठ्यक्रम के संचालन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का होगा।
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्तप्राप्ति पाठ्यक्रम के लिये प्रक्रिया-क्रमांक के अनुसार अधिकारी और सुनिश्चित छिपाकरण के लिये उत्तम उपाय उपलब्ध कराये जाना चाहिये। प्रोटोकॉल का निरन्तर प्रबंधन अनुद्वेष्ट विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

5- शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मानक:-

- (1) स्ववित्तप्राप्ति पाठ्यक्रम के लिये शिक्षकों के पद की संख्या का निर्धारण शिक्षक-छात्र अनुपात के विहित मानकानुसार किया जायेगा और इस हेतु सरकार द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (2) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता के आधार पर की जायेगी। शिक्षकों का अनुमोदन विहित प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जायेगा।
- (3) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का चयन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973/सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी

संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानक/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

6- शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं परिलक्षियों के सम्बन्ध में :-

- (1) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता, छात्रों की संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकों की भर्ती, शुल्क निर्धारण एवं परीक्षा आदि से संबंधित कार्य विश्वविद्यालयों के स्तर से व्यवहृत किया जाता है। कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्यतः किया जायेगा। किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का विशेष उल्लेख किया जाय कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जा रहा है।
(2) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन कराया जायेगा।

7- शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में :-

- (1) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होंगे।
- (3) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
- (4) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशॉप/सेमीनार/कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- (5) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध-पत्र में किया जाय। अनुबन्ध-पत्र की एक प्रति शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा एक-एक प्रति महाविद्यालय एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा करायी जाय।

8— उक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करवाना सम्बन्धित विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा। विश्वविद्यालय अपने स्तर से ख्वित्पोषित पाठ्यक्रमों में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करेंगे। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संरथ के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

9— यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस निर्देश के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि समस्त ख्वित्पोषित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की नीति/नियम/परिनियम आदि में यथावश्यक प्राविधान करके उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

10— कृत कार्यवाही की आख्या शासन को 15 मई, 2020 तक कृपया अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाय ताकि प्रचलित अवमाननावाद संख्या—2604/2018, डॉ नीरज श्रीवास्तव बनाम श्री नवीन अग्रवाल, प्रमुख सचिव व अन्य में मा० उच्च न्यायालय को तदनुसार सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या—226(1) / सत्तर—2—2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2— निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र० इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वे सभी महाविद्यालयों को अनुपालन हेतु निर्देशित कर दें।
- 3— समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को भी इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
- 4— उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव